

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 50/2017 मु.फौ.

संस्थापन दिनांक : 06.04.2017

1. श्रीमती पूनम पुत्री हरी पत्नी नीलू उम्र 26 साल,  
जाति-बाथम, निवासी- पंचमपुरा हाल निवास- बरथरा  
रोड़ मुलू की तिवरिया वार्ड क्र0 2 गोहद जिला भिण्ड
2. मयंक पुत्र नीलू आयु 6 माह नावालिक सरपरस्त माँ  
खुद श्रीमती पूनम पत्नी नीलू जाति-बाथम, निवासी  
पंचमपुरा, हाल निवास-बरथरा रोड़ मुलू की तिवरिया वार्ड  
क्र0 2 गोहद जिला भिण्ड

— आवेदकगण

#### बनाम

नीलू पुत्र बल्ली आयु 28 साल, जाति-बाथम, निवासी  
पंचमपुरा वार्ड क्र0 2 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

— अनावेदक

( आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स. )

( आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव )

( अनावेदक- एक पक्षीय )

#### आदेश

( आज दिनांक 05-04-2018 को पारित )

1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।
2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका क्र0 1 का विवाह दिनांक 28.04.09 को अनावेदक के साथ हुआ था। विवाह में आवेदिका क्र0 1 के माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य से अधिक दान-दहेज दिया था। विवाह पश्चात् आवेदिका गोहद आई थी तो अनावेदक और उसके परिवाजन आवेदिका क्र0 1 को परेशान करने लगे थे। अनावेदक एवं आवेदिका की सास रामप्यारी, देवर मनोज, आकाश आवेदिका से अपने माता-पिता के यहां से एक लाख रूपए दहेज में लाने के लिए कहते थे एवं आवेदिका

परेशानी झेलती रही थी, इसी बीच आवेदिका की मां भिण्ड की जायदाद बेचकर गोहद आ गई थी और गोहद में बरथरा रोड़ वार्ड क्र0 2 में रहने लगी थी। अनावेदक और उसके परिवारजन हमेशा आवेदिका से हमेशा एक लाख रुपए मांगते थे तथा उससे कहते थे कि तुम्हारी मां जायदाद बेचकर आई है अतः एक लाख रुपए हमें दे दो। आवेदिका मारपीट से तंग आ गई थी। अनावेदक एवं उसके परिवारजन आवेदिका से उसके जेबर और कपड़े छीनकर उसे दिनांक 20.03.2017 को उसकी मां के पास बरथरा रोड़ गोहद छोड़ गये थे एवं उससे कहा था कि एक लाख देने पर ही ले जायेंगे। आवेदिका ने उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2017 को थाना गोहद में की थी तो आवेदिका के कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। आवेदिका गरीब, असहाय महिला एवं आवेदिका के पास नाबालिक बच्चा है। अनावेदक ने आवेदिका को घर से निकाल दिया है। आवेदिका अपनी मां के पास रह रही है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका की मां बहुत गरीब है। अनावेदक शारीरिक रूप से हस्टपुष्ट है एवं कलर का काम करता है जिससे वह प्रतिमाह तीस हजार रुपए कमा लेता है। अनावेदक आवेदकगण का भरण पोषण नहीं कर रहा है अतः आवेदकगण को अनावेदक से प्रतिमाह पांच हजार रुपए प्रतिमाह भरणपोषण के रूप में दिलाये जावे।

3. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अनावेदक के तामील उपरांत उपस्थित न होने से अनावेदक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

4. उपरोक्त अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं कि :-

1. क्या आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत हैं ?
2. क्या आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
4. क्या अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण किये जाने में उपेक्षा बरती जा रही है ?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदकगण की ओर से आवेदिका पूनम अ0सा0 1 एवं हरवादेवी अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

/// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ///

/// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 ///

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका पूनम अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसकी शादी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8 साल पहले नीलू के साथ हुई थी। शादी के बाद वह एक साल तक अपनी ससुराल में ठीकठाक रही थी। एक साल बाद नीलू एवं उसके परिजन उसे परेशान करने लगे थे। नीलू और उसके परिजन उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। नीलू और उसके परिजन उसे दहेज में एक लाख रुपए अपने मायके से लाने के लिए कहते थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करते थे। उसके एक पुत्र मयंक है जो वर्तमान में लगभग दस माह का है उसके न्यायालयीन कथन के लगभग 6 महीने पहले उसके पति सास ससुर सभी लोग उसके पुत्र को उसके मायके छोड़ गये थे तभी से वह अपने मायके में रह रही है। नीलू उसे लेने नहीं आया है।

7. आवेदिका साक्षी हरवादेवी अ0सा0 2 ने भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका पूनम अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया है एवं अनावेदक द्वारा आवेदिका से एक लाख रुपए दहेज मांगने बावत् प्रकटीकरण किया है।

8. अनावेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवेदिका के कथनों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।
9. तर्क के दौरान आवेदिका अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक ने आवेदिका को दहेज की मांग की पूर्ति न होने के कारण उसके पुत्र मयंक सहित घर से भगा दिया है। इसी कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक निवासरत है।
10. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका पूनम अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि अनावेदक नीलू एवं उसके परिवारजन शादी के एक साल बाद से ही आवेदिका पूनम से एक लाख रूपए दहेज की मांग करते थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करते थे। उक्त बिन्दु पर आवेदिका पूनम अ0सा0 1 के कथन का पूर्णतः समर्थन हरवादेवी अ0सा0 2 द्वारा भी किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि अनावेदक उसकी पुत्री पूनक से एक लाख रूपए दहेज की मांग करता था तथा इसी क्रम में अनावेदक छः महीने पहले उसकी पुत्री को पुत्र सहित मायके छोड़ गया था। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
11. इस प्रकार आवेदिका पूनम अ0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक एवं उसके परिवारजन उससे दहेज में एक लाख रूपए की मांग करते थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करते थे एवं इसी क्रम में अनावेदक एवं उसके परिवारजन आवेदिका को उसके पुत्र मयंक सहित मायके छोड़ गये थे। तभी से वह अपने मायके में निवासरत है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है आवेदिका पूनम अ0सा0 1 के कथनों से यह स्पष्ट है कि दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर अनावेदक द्वारा आवेदकगण का परित्याग कर दिया गया है इसी कारण आवेदिका अपने पुत्र मयंक के साथ अनावेदक से पृथक अपने मायके में निवासरत है। फलतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02//

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पूनम अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, कोई काम नहीं जानती है। आवेदिका साक्षी हरवादेवी अ0सा0 2 ने भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका पूनम अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि उसकी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वह कोई काम भी नहीं जानती है पूनम और उसके बच्चे का खर्च वह उठाती है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।
13. इस प्रकार आवेदिका पूनम अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह कोई काम नहीं जानता है। हरवादेवी अ0सा0 2 ने भी उक्त बिन्दु पर पूनम अ0सा0 1 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आवेदिका की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह भी प्रमाणित है कि आवेदकगण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03//

14. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका पूनम अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक नीलू पुताई का काम करता है तथा पुताई के काम से नीलू तीस हजार रूपए प्रतिमाह कमा लेता है। आवेदिका साक्षी हरवादेवी द्वारा भी आवेदिका पूनम अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि नीलू पुताई के कार्य से तीस-चालीस हजार रूपए प्रतिमाह कमा लेता है।

15. इस प्रकार आवेदिका पूनम अ0सा0 1 एवं हरवादेवी अ0सा0 2 द्वारा भी यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक पुताई के कार्य से तीस-चालीस हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेता है परन्तु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदकगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनावेदक द्वारा किन-किन लोगों के यहां पुताई का कार्य किया गया है। यद्यपि आवेदिका द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि द0प्र0सं0 की धारा 125 में जो “पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति” वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय केवल प्रकट सम्पत्ति या यथासाध्य, सम्पदा, राजस्व या निश्चित रोजगार ही नहीं हैं उसमें कमाने की क्षमता का भी समावेश है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्षम शरीर वाला है तो यह माना जायेगा कि उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिये पर्याप्त साधन हैं।
16. भरण पोषण के आदेश हेतु यह कर्तव्य आवश्यक नहीं है कि पति सम्पत्ति धारण करता हो जब तक पति शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने तथा कमाने में सक्षम हो पत्नी को सहारा देना उसका कर्तव्य है चाहे वह दिवालिया, विक्षुप्त, अवयस्क, साधू या सन्यासी ही क्यों न हो। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है जो विवाह के क्षण से ही पति के साथ युक्त हो जाता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत ओंकार कौंडले वि. श्रीमती कमालती वाई 2017 (3) सी.जी.एच.सी. 1430 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पत्नी का पूर्ण अधिकार है तथा वह इस अभिवाक पर विफल नहीं किया जा सकता है कि पति के पास कोई काम नहीं है या भुगतान हेतु साधन नहीं हैं।
17. इस प्रकार यद्यपि प्रकरण में आवेदिका पूनम अ.सा. 1 द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक नीलू लगभग 28 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति है तथा मजदूरी करने में सक्षम है एवं यदि अनावेदक महीने में 25 दिन भी मजदूरी करता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छः हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह कमाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04//

18. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका पूनम अ.सा.1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक उसे व उसके बच्चे को उसके मायके छोड़ गये थे तभी से वह अपने मायके में रह रही है। अनावेदक उसे लेने नहीं आया है। आवेदिका साक्षी हरवादेवी ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि अनावेदक उसकी लड़की को पैसे नहीं भेजता है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का भी कोई खण्डन नहीं किया गया है।
19. इस प्रकार आवेदिका पूनम अ.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है अनावेदक द्वारा उसका एवं उसके बच्चे का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है ना ही अनावेदक का ऐसा कहना है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।
20. आवेदिका पूनम अनावेदक की विवाहिता पत्नी है एवं आवेदक क. 2 मयंक अनावेदक का पुत्र है। पति एवं पिता होने के नाते अनावेदक का यह धार्मिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि वह आवेदकगण की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखे एवं उनका भरण पोषण करे अनावेदक द्वारा अपने इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है अतएव

आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान समय की मंहगाई आवेदकगण के दैनिक खर्चे, आवेदक क्र.2 मयंक की पढ़ाई-लिखाई के खर्चे एवं अनावेदक की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका क्र. 1 पूनम को अनावेदक से पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह एवं आवेदक क्र.2 मयंक को अनावेदक से पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह कुल तीन हजार रुपये प्रतिमाह की राशि भरण पोषण के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

21. फलतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से आवेदिका क्र.1 पूनम को पंद्रह सौ रुपये एवं आवेदक क्र.2 मयंक को पंद्रह सौ रुपये कुल तीन हजार रुपये की राशि प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में को अदा करें।

स्थान-गोहद

दिनांक-05.04.2018

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)